

उपक

श्री. सविन्द्र सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

श्री. सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विभाग-2, मध्य वि. भवन,  
श्री. विहार, नई दिल्ली।

विधा 171 अनुभाग: सवक: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2000

विषय:- सपी0एस0 परिसरों के नामों के विचार, राजमोती रोड, मन्सूर को सी0वी0एस0 के नई दिल्ली के संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिने जाने के संबंध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बताने का विवेक हुआ है कि सपी0एस0 परिसरों के नामों के विचार, राजमोती रोड, मन्सूर को सी0वी0एस0 के नई दिल्ली के संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संरचना शीतलपट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रकृत स्थिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा जांचित एक स्वरूप होना।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नियोजित विद्यार्थियों में विभिन्न जातियों के लिये विभाजित गुरुक से अधिक गुरुक नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति के लिए शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय विद्यालय बोर्ड द्वारा प्रमाणित है तो उक्त परीक्षा वर्ष में उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था केवल सेंट्रल विद्यालय स्वीकारियों की राजकीय सेवाएं प्राप्त कि संस्थाओं के स्वीकारियों की अनुसूचित जातियों तथा अन्य भर्तियों के रूप में वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

HEMA KALAKOTI  
PRINCIPAL  
APS ACADEMY  
SEHANI VIHAR RAE-BARELI ROAD  
LUCKNOW (U.P.)

Handwritten notes in the left margin, including a vertical line and some illegible text.



- 161 कक्षाधिकारी की सेवाओं कायी पाठ्यो और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर शैक्षणिक विधानियों के कक्षाधिकारी की अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये पाठ्यो ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी उचित निर्णय लिये पाठ्यो संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विधानिय का रिक्तों नियुक्ति उपन/संश्लेषणों के रखा पाठ्यो ।
- 191 उक्त कक्षाओं में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के लिये जो परिचालन/संश्लेषण या परिचालन नहीं किया पाठ्यो ।
- 2- प्रतिष्ठान यह भी होगा कि संस्था द्वारा वह सुनिश्चित किया जाय कि :-
  - 111 विधानिय में कार्यरत कक्षाधिकारी की संश्लेषण/पौन्या/संग्रह की पाठ्यो ।
  - 121 विधानिय का शैक्षणिकी मकस के लिये सही-सहीकरण कराया जाय ।
- 3- उक्त प्रतिष्ठानों का पालन करना होगा के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी संस्था यह पाठ्यो वातात के कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनिवार्य प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

। तारीख दिनांक ।  
। विधि/तारीख ।

संख्या-5835111/15-7-99 तददिनांक

- प्रतिष्ठानिय नियुक्ति/संश्लेषणों को सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये हेतु प्रेरित :-
- 1- शिक्षा, निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ।
  - 2- सहायक निदेशक, शिक्षा, निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - 3- जिला विधानिय, निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - 4- निदेशक, उत्तर प्रदेश, भारतीय विधानिय, उत्तर प्रदेश ।
  - 5- प्रमुख, संश्लेषण/पौन्या/संग्रह, निदेशक, राज्यमंत्री, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।

। तारीख दिनांक ।  
। विधि/तारीख ।

*Hema Kalakoti*  
HEMA KALAKOTI  
PRINCIPAL  
APS ACADEMY  
SERIANI VIKAR RAE-BAREILY ROAD  
LUCKNOW (U.P.)